

परिशिष्ट - xiv 171

वन विभाग

विवरण

10 फरवरी 1960

संख्या 1115/14-331-53 उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग

यह है कि इण्डियन फॉरेस्ट ऐक्ट 1927 (अंश सं० 16, 1927) की धारा-23 की उपधारा - 131 के अधीन अधोदात जॉच तथा अभिलेख करने में उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकार है कि इस अधीन राज्य सरकार के अधिकारों को बाधता हो सकता है।

अतः उपर्युक्त उपधारा के प्रावधानों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की धारा-80-ए के तहत प्रदत्त उक्त धारा की उपधारा 1115/14-331-53 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग को अधिकार है कि इस प्रकार जॉच तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय - 4 के अधिनियम अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होगी।

अनुसूची

क्रमांक	जिला	नाम, स्थान	दूरी मील, जॉच और फीटों में	विवरण
59	1	2	3	4

1- मेरठ	x	x	
2- मुजफ्फरनगर	x	x	
x	x	x	
21- पीलीभीत	1- बरेली-पीलीभीत न्योरिया रोड	22 मील 2 फॉट 10 इंच 2 फॉट 10 इंच	

2- पीलीभीत-बड़ानाबाद 2 मील 10 फॉट 2 फॉट 10 इंच रोड

3- पीलीभीत-विशाल रोड मूल्य से 10 मील 3 फॉट 330 फीट

4- पीलीभीत-गजनीमा मूल्य से 2 फॉट 340 फीट तक

5- पीलीभीत-बीरपुर रोड 22 मील 3 फॉट 10 इंच

6- जाटीमा-इनल रोड 4 मील 4 फॉट 10 इंच

A. K. S. S.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वनिकी प्रभाग
पीलीभीत